संख्या-45/2025/I/899406/2025/71-1002(002)/9/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/533, दिनॉक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 18.50 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन के विभिन्न मानक मदों में कुल **रू0 13.50 लाख (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210050010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210050010300 निदेशन	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
2	031	2210050010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
3	031	2210050010300 निदेशन	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**13,50,000 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग				13,50,000 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)

4- यह आदेश वित्त (आय-अनुभाग (व्ययक-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024-बी/1-294-दस/ 2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-001-71-1002-002-9-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मानक मदों में में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,48,50,000 रुपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र	18,50,000 रुपये अठारह लाख पचास हजार मात्र	18,50,000 रुपये अठारह लाख पचास हजार मात्र	13,50,000 रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र	3,35,00,000 रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 18,50,000	₹ 13,50,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	49 (चिकित्सा व्यय)	19,00,000 रुपये उन्नीस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	2024-2025
031	2210050010300 (निदेशन)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण	38,00,000 रुपये	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	46,00,000 रुपये	2024-2025
कुल				₹ 18,50,000	₹ 13,50,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		और पेट्रोल आदि की खरीद)	अड़तीस लाख मात्र			छियालीस लाख मात्र	
031	2210050010300 (निदेशन)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	3,70,000 रुपये तीन लाख सत्तर हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	4,20,000 रुपये चार लाख बीस हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 18,50,000	₹ 13,50,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में निदेशालय हेतु मानक मद-03-महंगाई भत्ता में रू0 18.50 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण के पत्र दिनांक 30.01.2025 के क्रम में द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष के अंतर्गत निदेशालय हेतु मानक मद-13-टेलीफोन व्यय हेतु रू0 .50 लाख, मानक मद-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद हेतु रू0 10.00 लाख, एवं मानक मद-49-चिकित्सा व्यय हेतु रू0 8.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 18.50 लाख की पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-410-E-3-375-X-2024-25-दिनांक:20-02-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)

अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।